न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– डॉ.प्रतिभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 77/2018

1. सीता देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी दुलाराम
2. मन्जू देवी उम्र 33 वर्ष पुत्री दुलाराम
3. इन्द्रता उम्र 30 वर्ष पुत्री दुलाराम
4. अजीत गोदारा उम्र 26 साल पुत्र दुलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज0

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज0
2. महादाराम पुत्र हेमाराम
3. म्होरी पत्नी हेमाराम
4. लिछमणाराम पुत्र हेमाराम
5. सुखी देवी पत्नी रामेश्वर
6. बालूराम पुत्र रामेश्वर
7. विधाधर पुत्र रामेश्वर
8. चन्दन पुत्र दुलाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज0

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 ... अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपस्थित अधिवक्ता

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह– प्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र शर्मा – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 07.04.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 134 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 2.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 5.06 हैक्टयर कुल किता छः कुल रकबा 9.89 हैक्टयर व खसरा नम्बर 15 रकबा 2.80 हैक्टयर वाके ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर –शेखावाटी जिला सीकर राज0 में अवस्थित है।

उक्त खसरा नम्बर 134 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 2.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 5.06 हैक्टयर के 1/10 हिस्सा भूमि भाग व 1/30 भूमि भाग का खाता प्रार्थीया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 8 के पिता दुलाराम के नाम बना हुआ है तथा उसी प्रकार खसरा नम्बर 15 रकबा 2.80 हैक्टयर में से 4/15 हिस्सा भूमि भाग का खाता प्रार्थीगण के पति व पिता दुलाराम के नाम से बना हुआ है उक्त दुलाराम की मृत्यु हो चुकी है।

उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनका खाता पूर्व में प्रार्थीगण के दादा हेमाराम के नाम से बना हुआ था उक्त हेमाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमियों का खाता जरिये नामान्तरण उनके विधिक वारिसों प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 7 के पिताओं के नाम से दर्ज हो गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खाता हेमाराम के पश्चात उसके विधिक वारिस उनके पुत्रों के नाम दर्ज होते समय गलती से प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम दर्ज करते समय दुलाराम की जगह तुलछाराम दर्ज कर दिया जबकि उनका सही नाम दुलाराम ही है

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

क्योंकि उक्त नामान्तरण तस्दीक करते समय प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम दुलाराम जो दिल्ली में सर्विस करते थे जिस कारण उनकी अनुपस्थिति में यह नामान्तरण तस्दीक करते समय उसका नाम दुलाराम की जगह तुलछाराम दर्ज कर दिया जबकि उनका सही नाम दुलाराम ही है।

प्रार्थी संख्या एक के पति व प्रार्थीगण संख्या दो लगायत चार के पिता दुलाराम के समस्त सरकारी दस्तावेज, सर्विस कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मुत्यु प्रमाण पत्र, व प्रार्थीगण के स्वयं के दस्तावेजात बैंक पास बुक्स पैन कार्ड, आधार कार्ड में उनके पिता का नाम दुलाराम ही है साबित होता है कि प्रार्थी संख्या एक के पति व प्रार्थीगण संख्या दो लगायत चार के पिता का सही नाम दुलाराम है जिस कारण उक्त जमाबन्दी में दर्ज तुलछाराम पुत्र हेमाराम के नाम को निरस्त कर उसकी जगह उसका सही नाम दुलाराम पुत्र हेमाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमियों का खाता अपने नाम दर्ज करवाने में काफी कठिनाई हो रही है जिसका पता उन्हें अपने नाम नामान्तरण तस्दीक करने के लिये उक्त जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई जिस कारण यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबन्दी में दर्ज तुलछाराम पुत्र हेमाराम के नाम को निरस्त कर उसकी जगह दुलाराम पुत्र हेमाराम के नाम को निरस्त कर उसकी जगह दुलाराम पुत्र हेमाराम का नाम दर्ज करने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

मिसल मूर्तिव की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 8 की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की ओर से श्री गिरधारीलाल [illegible] जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की ओर से श्री [illegible] नहीं पेश किया व अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के विरुद्ध कोई [illegible] बाबत वकील प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अंकित किये जाने पर उक्त जवाब आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज सर्विस कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मुत्यु प्रमाण पत्र, व प्रार्थीगण के स्वयं के दस्तावेजात बैंक पास बुक्स पैन कार्ड, आधार कार्ड पेश की तथा तहसीलदार फतेहपुर की जांच रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें प्रार्थी संख्या एक के पति व प्रार्थीगण संख्या दो लगायत चार एवं अप्रार्थी संख्या आठ के पिता का नाम दुलाराम अंकित है। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिराणियां की भूमि खसरा नंबर 134 रकबा 1.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 2.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 5.06 हैक्टयर कुल किता छः कुल रकबा 9.89 हैक्टयर व खसरा नम्बर 15 रकबा 2.80 हैक्टयर में प्रार्थी संख्या एक के पति व प्रार्थीगण संख्या दो लगायत चार व अप्रार्थी संख्या आठ के पिता का नाम तुलछाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर दुलाराम पुत्र हेमाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. प्रतिभा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 15:48:50 IST
Reason: SelfAttested